Universal Declaration of Human Rights- Dangaura Tharu Language

मानव अधिकारके विश्वव्यापी घोषणापत्र

प्रस्तावना

संसारके मानव परिवारके सक्कु सदस्यन्मे अन्तरनिहित प्रतिष्ठा, समानता ओ नैहरे सेक्जैना अधिकारके सम्मानके लग स्वतन्त्रता, न्याय ओ शान्तिके आधार हुइलक ओरसे,

मानव अधिकारप्रति अवहेलना ओ उपेक्षाके परिणामस्वरुप मानव जातिक् विवेकहे जो आघात पुगैना बर्वरतापूर्ण काम हुइलक ओ मानव जातिहे नैडराके आपन आस्था ओ वाक स्वतन्त्रताके उपभोग करे पैना सर्वसाधारण जनतन्के उच्चतम् आकांक्षा हुइल ओरसे,

अत्याचार ओ दमनके विरुद्ध अन्तिम उपायके रुपमे विद्रोह करक टन व्यक्तिन्हे बाध्य नैकराइक लग कानूनके शासनसे मानव अधिकारके संरक्षण कैना बहुट आवश्यक हुइलक ओरसे,

देश-देशके बीच मैत्रीपूर्ण सम्वन्ध अभिबृद्धि कैना आवश्यक हुइलक ओरसे,

संयुक्त राष्ट्र संघके जनतन् वडापत्रमे मानवके मौलिक अधिकार ओ ओकर प्रतिष्ठा ओ जन्नी ओ थारू (पुरुष) के बीच बराबर अधिकार अभिव्यक्त कैके वृहत स्वतन्त्रताके साथे सामाजिक प्रगति ओ आउर मजा जिन्गीक् स्तर प्रवर्द्धन कैना ओइने दृढ संकल्प कैलक ओरसे,

सदस्य राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघके सहयोगमे मानव अधिकार ओ मौलिक स्वतन्त्रता पाके विश्वव्यापी सम्मान, पालना ओ प्रवर्द्धन हासिल कैना प्रतिज्ञा कैलक ओरसे, ओ यी अधिकार ओ स्वतन्त्रताके पूरा प्राप्तीक् लग बराबर समझदारी हुइना महत्वपूर्ण हुइलक ओरसे,

महासभा सक्कु जनता ओ सक्कु देश हासिल कैना एक साझा मापदण्डके रुपमे यी मानव अधिकारके विश्वव्यापी घोषणापत्रहे घोषणा करटा ओ यी उद्देश्यके लग प्रत्येक व्यक्ति ओ समाजके प्रत्येक अंग यी घोषणापत्रहे निरन्तर ध्यानमे ढैके शिक्षण ओ शिक्षाके माध्यमसे यी अधिकार ओ स्वतन्त्रता प्रतिके सम्मान प्रवर्द्धन कैना ओ राष्ट्रिय ओ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमे सदस्य देशके जनतन्बीच, ओइनके क्षेत्र ओ क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उ अधिकारके सम्मान ओ पालना कैना प्रयत्न रहना विश्वास लेले बा ।

धारा १

सक्कु व्यक्ति प्रतिष्ठा ओ अधिकारके आधारमे जन्मजात स्वतन्त्र ओ बराबर रठाँ । ओइने बुद्धि ओ विवेक लेके आइल रठाँ ओ एक डोसरप्रति भातृत्वके व्यवहार करेपरठ ।

धारा २

जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनैतिक ओ आउर विचारधारा, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति, जन्म वा औरे कौनो हैसियत जसिन कौनो फेन आधारमे कौनो फेन मेरीक भेदभाव विना प्रत्येक व्यक्तिहे यी घोषणापत्रमे उल्लिखित अधिकार ओ स्वतन्त्रताके अधिकार रहीहिन् । यकर साथे राजनीतिक, क्षेत्राधिकार या अन्यत्र देश वा क्षेत्रसंगे सम्बन्धित व्यक्ति कौनो फेन स्वतन्त्र, संरक्षित, स्वशासन रहित वा बाह्य सत्तासे शासित देश कना जसिन कौनो फेन भेदभाव नैकैजाई ।

धारा ३
प्रत्येक व्यक्तिहे जिन्गीक् स्वतन्त्रता ओ सुरक्षाके अधिकार रही ।

धारा ४
किहुहे फे कमैया (बाँधा वा दास) बनाइ नै ढैजाइ । कौनो मेरिक दासत्व ओ दास व्यापारहे पूरा रुपमे निषेध कैगइल बा ।

धारा ५
कौनो फेन व्यक्तिहे शारीरिक यातना डेना ओ डरलग्टीक्, अमानवीय वा अपनमानजनक व्यवहार वा सजाय नैकैजाइ ।

धारा ६
सर्वत्र कानूनके दृष्टिमे प्रत्येक व्यक्तिहे व्यक्तिक् रुपमे मान्यता पैना अधिकार रही ।

धारा ७
सक्कु व्यक्ति विना भेदभाव कानूनके दृष्टिमे बराबर रहिहीं ओ कानूनके आधारमे सक्हुन बराबर व्यवहार कैजाइ । सक्कु व्यक्तिन् यी घोषणापत्रके उल्लङ्घन वा आकुर कौनो मेरिक भेदभाव वा कौनो मेरिक भेदभावके लग उम्कर्ना विरुद्ध कानूनके बराबर संरक्षण पैना अधिकार रही ।

धारा ८
प्रत्येक व्यक्तिन्हे संविधान वा कानूनसे मिल्लक् मौलिक अधिकारके उल्लङ्घन कैना कामक् विरुद्ध सक्षम न्यायालयसे प्रभावकारी उपचार पइना अधिकार रही ।

धारा ९
किहु फेन स्वेच्छाकारी रुपले पक्रना, नजरबन्दमे ढैना ओ देश निकाला नैकैजाइ ।

धारा १०
प्रत्येक व्यक्तिहे ओकर उपर लगा गइल फौजदारी अभियोग वा ओकर अधिकार ओ दायित्वके निरुपण करेबेर स्वतन्त्र ओ सक्षम न्यायालयसे बराबर ढंगले निष्पक्ष ओ सार्वजानिक सुनुवाई करे पैना पूरा अधिकार रही ।

धारा ११
(१) दण्डनीय कसूरके अभियोग लागल प्रत्येक व्यक्तिहे सार्वजनिक सुनुवाइमे अपन प्रतिरक्षाके लग आवश्यक प्रमाण पेश कैना ओ कानून बमोजिम दोषी प्रमाणित नैहुइटसम निर्दोष हुइना अधिकार रही ।

(२) कौनो व्यक्तिहे काम करेबेर वा नैकरेबेर राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय कानून दण्डनीय कसूर नैमान्जैना ओसिन काम कैना कौनो फेन व्यक्तिहे दण्डनीय कसूरके दोषी प्रमाणित कैके सजाय नै कैजाइ ओ उ दण्डनीय कसूर करेबेरिक लागू कैगैलक सजायसे ढेर सजाय फेन नै कैजाइ ।

धारा १२
कौनो फेन व्यक्तिक् गोपनीयता, परिवार, घर वा पत्र व्यहारमे स्वेच्छाचारी वा गैरकानूनी हस्तक्षेप नैकैजाइ । ओ ओकर प्रतिष्ठा ओ ख्यातीमे फेन गैरकानूनी आक्रमण नैकैजाइ । प्रत्येक व्यक्तिहे ओसिन हस्तक्षेप वा आक्रमण विरुद्ध कानूनसे संरक्षण पैना अधिकार रही ।

धारा १३
१. प्रत्येक व्यक्तिहे आपन देशके सीमाना भित्तर अइना जइना ओ बैठे पैना पैना स्वतन्त्रताके अधिकार रही ।
२. प्रत्येक व्यक्तिहे अपन देश या कौनो फेन देश छोरे पैना ओ अपन देश घुमे पैना अधिकार रही ।

धारा १४
१. प्रत्येक व्यक्तिहे अत्याचार ओ उत्पीडनसे बचक् लग कौनो फेन देशमे आश्रय लेहे पैना अधिकार रही ।
२. गैर-राजनीतिक अपराध वा संयुक्त राष्ट्र संघके उद्देश्य ओ सिद्धान्त विरुद्धके कामसे वास्तविक रुपमे उत्पन्न मुद्दामे भर यी अधिकारके उपभोग करे नैसेक्जाइ ।

धारा १५
१. प्रत्येक व्यक्तिहे राष्ट्रियताके अधिकार रही ।
२. कौनो फेन व्यक्तिहे स्वेच्छाकारी ढंगसे ओकर राष्ट्रियतासे वञ्चित नै कैजाजाइ, ओ कौनो फेन व्यक्तिहे राष्ट्रियता परिवर्तन करे पैना अधिकारसे वञ्चित नैकैजाइ ।

धारा १६
१. उमेर पुग्लक थारू (पुरुष) ओ जन्नी मनैन्हे जाति, राष्ट्रियता वा धर्मके वन्देज विना भोज कैके परिवार बैठैना अधिकार रही । ओइनहे भोज करेबेरीक्, वैवाहिक सम्बन्ध रहेबेरीक् ओ भोज विच्छेदके बेर बराबर अधिकार मिल्हीन् ।
२. इच्छुक दुल्हा दुल्हनीयक् स्वतन्त्र ओ पूरा मन्जुरीमे किल भोज कैजाजाइ ।
३. परिवार समाजके प्राकृतिक ओ आधारभूत इकाई हो । ओहेसे परिवार समाज ओ देशसे संरक्षण पैना अधिकार राखठ् ।

धारा १७

१. प्रत्येक व्यक्तिहे आपन व्यक्तिगतके साथे ओ आउर जनहनके संग्ललग्नतामे सम्पत्ति ढैना अधिकार रही ।

२.कौनो फेन व्यक्तिहे स्वेच्छाकारी ढंगसे ओकर सम्पत्तिसे वञ्चित नै कैजाजाइ ।

धारा १८

प्रत्येक व्यक्तिहे आपन विचार ढैना, विवेक प्रयोग कैना ओ धर्मके स्वतन्त्रताके अधिकार रही । यी अन्तर्गत उ अपन रोजल धर्म वा आस्था बडल्ना स्वतन्त्रता ओ व्यक्तिगत वा आउर जनहनसँगे मिलके ओ सार्वजनिक वा निजी रुपमे पूजाआजा कैना स्वतन्त्रताके साथे, अपन धर्म मन्ना, अपन धर्म सिखैना, आस्था प्रकट कर्ना, पूजाआजा करे पैना स्वतन्त्रता आदि परठ ।

धारा १९

प्रत्येक व्यक्तिहे विचार ओ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताके अधिकार रही । यी अधिकार अन्तर्गत विना हस्तक्षेप अपन विचार ढारे पैना स्वतन्त्रता, सिमानाके बन्देज विना कौनो फेन माध्यमसे सूचना ओ विचार पैना, खोज्ना ओ प्रसार कैना स्वतन्त्रता समेत परठ ।

धारा २०

१. प्रत्येक व्यक्तिहे शान्तिपूर्वक सभा कैना ओ संगठन खोल्ना स्वतन्त्रताके अधिकार रही ।

२.कौनो फेन व्यक्तिहे कौनो फेन संगठनमे लग्ना बाध्य कराइ नैसेक्जाइ ।

धारा २१

१. प्रत्येक व्यक्तिहे प्रत्यक्ष वा स्वतन्त्र रुपले छानल प्रतिनिधि मार्फत् आपन देशके सरकारमे भाग लेहे पैना अधिकार रही ।

२. प्रत्येक व्यक्तिहे अपन देशके सार्वजनिक सेवामे बराबर पहुँच पैना अधिकार रही ।

३. सरकारके शासन कैना अधिकार जनतन्के इच्छामे रही । असिन इच्छा आवधिक ओ निष्पक्ष चुनावसे अभिव्यक्त कैजाजाइ ओ ओसिन गोप्य चुनाव वा ओस्टेहे कौनो मेरीक स्वतन्त्र मतदान प्रणालीसे कैजाइ ।

धारा २२

समाजके सदस्यके हैसियतमे प्रत्येक व्यक्तिहे सामाजिक सुरक्षाके अधिकार रही, साथे प्रत्येक व्यक्तिहे देशके राष्ट्रिय प्रयत्न वा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमार्फत् प्रत्येक देशके स्रोत ओ साधन अनुसार ओकर प्रतिष्ठा ओ स्वतन्त्र व्यक्तित्वके विकासके लग अपरिहार्य आर्थिक, सामाजिक ओ सांस्कृतिक अधिकार बेल्से पैना अधिकार रही ।

धारा २३

१. प्रत्येक व्यक्तिहे काम कर्ना, आपन मनले काम रोज्ना ओ काम करक् लग उचित ओ अनूकूल परिस्थितिके सिर्जना ओ बेरोजगारी उपर संरक्षण पैना अधिकार रही ।

२. प्रत्येक व्यक्तिक् कौनो फेन भेदभाव विना बराबर कामके लग बराबर पारिश्रामिक पैना अधिकार रही ।

३.काम कैना प्रत्येक व्यक्ति ओ अपन परिवारके लग मानवीय प्रतिष्ठा अनुरुप जीविकाके वन्दोवस्तके लग उचित ओ पारिश्रमिक पैना ओ आवश्यक हुइलेसे सामाजिक संरक्षणसे अन्य उपायसे ओम्ने भरथेगके अधिकार रही ।

४. प्रत्येक व्यक्तिहे अपन हितके रक्षाके लग ट्रेड युनियन खोल्ना ओ ओम्हे सम्मिलित हुए पैना अधिकार रही ।

धारा २४

प्रत्येक व्यक्तिहे मुनासिव काम समय सीमा ओ तलब सहितके आवधिक छुट्टी सहित बिसैना ओ फुर्सदके अधिकार रही ।

धारा २५

१. प्रत्येक व्यक्तिहे ओकर ओ ओकर परिवारके स्वास्थ्य ओ कल्याणके लाग खाद्यान्न, कपडा, आवास ओ दरदवाइके सुविधा ओ आवश्यकता अनुसारके सामाज़िक सेवा सहित स्तरयुक्त जिन्गी जिना अधिकार रही । ओस्टक वेरोजगारी, वेरामी, असमर्थतता, विधवा, बुढेसकाल वा अपन सेकटसमके बाहेरके आउर परिस्थितिमे साधन ओ श्रोतके अभावमे जीविकोपार्जनमे समस्या हुइ कलेसे सुरक्षाके अधिकार रही ।

२. डाई ओ लर्कन् विशेष हेंरचाह ओ सहायता पैना अधिकार रही । भोज हुके वा नैहुके जन्मलक सक्कु लर्कापर्कन् बराबर सामाजिक संरक्षण उपभोग कर्ना अधिकार रही ।

धारा २६

१. प्रत्येक व्यक्तिहे शिक्षाके अधिकार रही । कम्तिमे फेन प्रारम्भिक ओ आधारभूत शिक्षा निःशुल्क रही । प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य रही । प्राविधिक ओ व्यवासायिक शिक्षा सक्हुनके लग सहजिल रही ओ उच्च शिक्षा योग्यताके आधारमे सक्हुन बराबर रुपमे उपलब्ध रही ।

२. शिक्षा मानवीय व्यक्तित्वके पूरा विकास ओ मानव अधिकार ओ मौलिक स्वतन्त्रताके सम्मानहे सुदृढ कैनाओर निर्देशित रही । शिक्षा सक्कु देश जाति ओ धार्मिक समूहबीच समझदारी, सहिष्णुता ओ मित्रता प्रवर्द्धन कैना ओ संयुक्त राष्ट्र संघके शान्ति कायम कैना प्रयत्नहे आघे बढ्नैना सहयोग करी ।

३. अपन लर्कापर्कन्हे डे जैना शिक्षा रोज्ना प्राथमिक अधिकार डाई-बाबन् रही ।

धारा २७

१. प्रत्येक व्यक्तिहे अपन समुदायके साँस्कृतिक जिन्गीमे स्वतन्त्र रुपसे सहभागी हुइना, कला उपयोग कैना ओ वैज्ञानिक प्रगति ओ यकर उपयोगके फाइदा उपभोग कैना अधिकार रही ।

२. प्रत्येक व्यक्तिहे अपन लिखल वा सिर्जाइल कौनो फेन वैज्ञानिक, साहित्यिक वा कलात्मक कृतिसे मिलल् नैतिक ओ भौतिक फाईदक् संरक्षण कैना अधिकार रही ।

धारा २८

प्रत्येक व्यक्तिहे यी घोषणापत्रमे उल्लिखित अधिकार ओ स्वतन्त्रता पूरा रुपले पइना सामाजिक ओ अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाके अधिकार रही ।

धारा २९

१. प्रत्येक व्यक्तिक् अपन समाज प्रति दायित्व रही, ओसिन समाजमे बैठ्के किल व्यक्तिके स्वतन्त्रता ओ पूरा व्यक्तित्वके विकासके सम्भावना रहठ ।

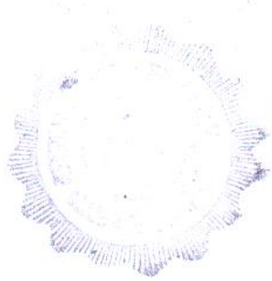
२. अपन अधिकार ओ स्वतन्त्रताके उपभोग करेबेर प्रत्येक व्यक्ति औरेक् अधिकार ओ स्वतन्त्रताके आदर कर्ना चाही ओ प्रजातान्त्रिक समाजके नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था ओ सर्वसाधारणके कल्याणके लग चहना उचित आवश्यकता हासिल करेबेर कानूनसे निर्धारित सीमा भित्तर रहे परी ।

३. यी अधिकार ओ स्वतन्त्रता संयुक्त राष्ट्र संघके सिद्धान्त ओ उद्देश्य विपरित हुइना मेरीक कौनो फेन हालतमे उपभोग करे नै मिली ।

धारा ३०

कौनो देश, वर्ग वा व्यक्ति यी घोषणापत्रमे उल्लिखित अधिकार ओ स्वतन्त्रताहे मेटैना उद्देश्यले वा कौनो काम सेक्ना मेरीक वा काम कैना मेरीक यी घोषणापत्रमे उल्लिखित अधिकार ओ स्वतन्त्रताहे व्याख्या करे नैसेक्जाइ ।

(१० डिसेम्वर १९४८ मे संयुक्त राष्ट्र संघके महासभासे पारित)



चन्द्र कुमार चौधरी थारु
अध्यक्ष
थारु कल्याणकोषी सभा